न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 632/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

राज सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जट सिख नि.शेरगढ तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

बनाम

वादी

1. गुरसेवक सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

उपस्थित :–

प्रतिवादीगण

1– श्री नरेश मण्डा वकील वादी
2– श्री संजय धारणियां – वकील प्रति सं. 1

निर्णय

दिनांक :– 14.1.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके निम्नानुसार है कि चक 13 एम.के. एस. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं. 134/68 प्रतिवादी सं. 1 के नाम से कुल 3.972 है. में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.986 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के साथ अपनी कृषि भूमि का बटवारा अच्छी–मन्दी के हिसाब से हो चुका है। घरेलू बटवारा के मुताबिक प्रतिवादी सं. 1 को 0.993 है. कृषि भूमि हिस्सा में आई थी। जिसे वादी, प्रतिवादी सं.–1 के नाम से दर्ज 1.986है. कृषि भूमि में से घरेलू बटवारा के अनुसार 0.993है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहता है वादी एवं प्रतिवादी अपनी–अपनी कृषि भूमि पर निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है, जिसकी रूह से वादी उक्त कृषि भूमि की मालिक व काबिज है। जिसका हिस्सा घोषित करवाने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है। वाद–पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज रिकार्ड है परन्तु कृषि भूमि का वादी के नाम नही होने के कारण हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही हुआ है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने घरू तौर पर उक्त कृषि भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन कर लिया है।। जिसे वादी अपना घोषित करवाकर उसी हद तक प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी के कब्जा काश्त की भूमि निम्न प्रकार से है कि वादी राज सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) को प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है चक 13 एम.के.एस. खाता सं.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

134/68 में 0.993 है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी हद तक प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे। वादी मौका पर वाद–पत्र की चरण सं. 3 के खण्ड (क) के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत् किसी तरह का कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार हिस्सा घोषित नही के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज. वाटरसेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. 3 के अनुसार कृषि भूमि का हिस्सा घोषित होना मान लो तो प्रतिवादी सं.1 पहले तो टाल मटौल करता रहा लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादी, वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

लिहाजा वाद वादी निम्नप्रकार डिक्री फरमाया जावे कि चक 13 एम.के.एस. जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 134/68 वादी के नाम से वाद पत्र की चरण संख्या 3 के खण्ड (क) के अनुसार हिस्सा घोषित कर उसी हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो जाने के कारण वकील वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये:–

1. चक 13 एमकेएस खाता संख्या 134/68 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073
2. चक 13 एमकेएस खाता संख्या 23/33 जमाबन्दी सम्वत 2062–2065

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 13 एमकेएस खाता संख्या 134/68 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में दर्ज कृषि भूमि मे से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि गुरसेवंक सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवांदी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 13 एमकेएस की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 2 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक 13 एमकेएस खाता संख्या 134/68 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 0.993 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 14.1.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 632/2025

राज सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जट सिख नि.शेरगढ तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

बनाम वादी

1. गुरसेवक सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जट सिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा.वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिनं जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 13 एमकेएस खाता संख्या 134/68 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 0.993 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन नही हो तो उक्तानुसार अमल दरामद कर दिया जावे।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.1.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया